उपायुक्त का कार्यालय, (जिला नजारत शाखा) गिरिडीह।

निलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि समाहरणालय परिसर में नवनिर्मित स्टेण्ड की निलामी खुली डाक द्वारा दिनांक 21.12.2016 को 3:00 बजे अप0 समाहरणालय सभाकक्ष में की जायेगी।

निलामी की शर्ते :–

1. नवनिर्मित स्टेण्ड Size 18X125 की निलामी में भाग लेने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ 30000.00 (तीस हजार) रूपये की प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो उपायुक्त गिरिडीह के पद नाम से भुगतेय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र एवं प्रतिभूति राशि दिनांक 21.12.2016 को 01:00 बजे अप0 तक जिला नजारत शाखा गिरिडीह मे प्राप्त किया जायागा।
3. निर्धारित समय के बाद आवेदन पत्र एवं प्रतिभूति राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. प्रतिभूति राशि जमाकर्ता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि ही स्टेण्ड निलामी में भाग ले सकते है।
5. यह निलामी वित्तीय वर्ष 2016–17 के अवशेष अवधि वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए की जाएगी। उच्चतम डाक वक्ता को वित्तीय वर्ष 2016–17 के अवशेष अवधि का मासिक किराया एक सप्ताह के अन्दर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो उपायुक्त, गिरिडीह के पदनाम से भुगतान हो जमा करना होगा।
6. वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का मासिक किराया प्रत्येक वर्ष के 15 अप्रैल तक एक मुस्त राशि जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अधिकतम डाक वक्ता की प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जाएगी एवं द्वितीय अधिकतम डाकवक्ता को स्टेण्ड आवंटित करने की कार्रवाई की जायेगी।
7. स्टेण्ड का न्यूनतम डाक 6000.00 (छः हजार) रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।
8. बिना कारण बताये स्टेण्ड की नीलामी को स्थगित करने तथा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
9. स्टेण्ड के आसपास साफ–सफाई डाकवक्ता को अपने खर्च पर करना होगा।
10. स्टेण्ड मे विधुत कनेक्शन एवं विधुत विपत्र का भुगतान डाक वक्ता को स्वंय करना होगा।
11. डाकवक्ता के द्वारा आयकर सेवा कर एवं वाणिज्यकर नियमानुसार भुगतान करना होगा।
12. अधिकतम डाकवक्ता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर बिना कारण बताये किसी भी समय निलामी/एकरारनामा रदद की जा सकती है।
13. अधिकतम डाकवक्ता को स्टेण्ड आवंटित करने के पूर्व जिला प्रशासन के साथ एकरारनामा करना होगा।
14. डाकवक्ता 100.00 (एक सौ) रूपये से कम का डाक बोली नहीं लगा सकता है।
15. सफल डाक वक्ता द्वारा स्टेण्ड में लगाने वाले व्यक्तियों से प्रति मोटरसाईकिल एवं साईकिल क्रमशः 10 (दस) रूपया एवं 05 (पॉच) रूपया से अधिक राशि की वसूली नहीं की जायेगी।
16. स्टेण्ड में लगाये गये मोटरसाईकिल एवं साईकिल की चोरी होने पर उसका भरपाई स्टेण्ड लेने वाले व्यक्ति को एकमुस्त वाहन मालिक को करना पड़ेगा।

03/12

उपायुक्त,
गिरिडीह।

आवेदन पत्र

(अनुमंडल कार्यालय परिसर में बने नवनिर्मित स्टेण्ड निलामी हेतु)

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. मोबाईल नम्बर :– ....
4. स्थायी पता :– ....
   ....
   ....
5. वर्तमान पता :– ....
   ....
   ....
6. आधार/वोटर कार्ड संख्या :–..
   (स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न)
7. बैंक ड्राफ्ट की विवरणी :– ....

   बैंक का नाम :– ....

   बैंक ड्राफ्ट सं0 :– ....

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

....

आवेदक का हस्ताक्षर